15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01 AUG

101001

(ओउम नमः शिवाय)

किस्म दस्तावेज	-	बैनामा(सेल डीड) ।
भूमि का प्रकार	-	कृषिक ।
मौजा/ परगना	-	मौजा लकावली तहसील व जिला आगरा।
आराजी का विवरण	-	खाता संख्या 132 खसरा संख्या 721 मे से 1/2 विक्रय किया जा रहा है।
आराजी का प्रकार	-	कृषिक ।
विक्रीत जमीन का रकबा	-	0.3775 हैक्टेयर मे से 0.1887 हैक्टेयर का विक्रय ।
प्रतिफल की धनराशि	-	21,50,000/- रुपये ।
देय स्टाम्प(20 पेज)	-	1,51,000/- रुपये ।

For ... (P) Ltd.

Director

Third Eye Media Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

15000 रु भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0 AUG 2008
कोषाधिकारी
आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 101006

2

सरकारी मालियती	-	8,64,000/- रुपये।
सर्किल रेट जमीन	-	50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर, जो कि सर्किल रेट सूची एस. आर. प्रथम के पेज 13 के क्रमांक 13 पर अंकित है।

आराजी अन्तरण में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27(1) का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। विक्रीत आराजी का बैनामा फर्म के नाम रजिस्ट्री होने पर शासन के आदेश संख्या 2756 दिनांक 30-6-2008 ई० के अनुसार स्टाम्प 7 प्रतिशत देय है जो नियमानुसार अदा किया जा रहा है। विक्रीत आराजी मुख्य मार्ग से करीब 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है जो अविकसित क्षेत्र में है जो कि चार मीटर चौड़े कच्चे रास्ते के सहारे है।

For ...

Director

विक्रय पत्र

[illegible]	944,000.00	5,000.00	20	[illegible]	800
		फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

[illegible]

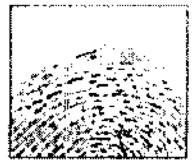

निवासी स्थायी [illegible] नगर आगरा

[illegible] 22/05/2009 समय [illegible] PM

ओ०पी० कठेरिया
उपनिबन्धक (तृतीय)
आगरा सदर

[illegible] पक्षों द्वारा [illegible] उक्त

विक्रेता

[illegible] भरतपुर
पुत्र/पत्नी श्री [illegible] अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी माधो नगर आगरा

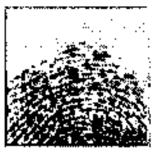

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible] किशोर विज
पुत्र/पत्नी श्री भगवान दास विज
पेशा व्यापार
निवासी कमला नगर आगरा

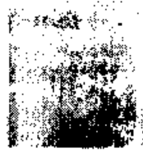

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 100949

31 JUL 2008
कोषाधिकारी
आगरा

3

[illegible] कि नन्द एस्टेट डवलपर्स(प्रा. लि.) डायरेक्टर श्री नन्द किशोर मयेरानी पुत्र स्व. श्री दामोदर दास मयेरानी निवासी डी 67 कमलानगर शहर आगरा। ———— विक्रेता/ प्रथम पक्ष।

एवं

थर्ड आई मीडिया प्रा. लि. द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमल किशोर मिश्र पुत्र श्री भगवान दास मिश्र निवासी एफ 885 कमला नगर शहर आगरा।
———————— क्रेता/ द्वितीय पक्ष।

For N...

Director

Third Eye Media Pvt Ltd

Auth. Signatory

नरेश चन्द
सुरेश चन्द
व्यापार
खन्दारी आगरा

राज कुमार
किशन सिंह
व्यापार
कोल्हाई शाहगंज आगरा

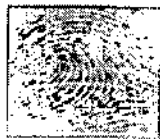

ओ0पी0 कठेरिया
उपनिबन्धक (तृतीय)
आगरा सदर

आबकारी ट्रेजरी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

101042

01 AUG 2008

कोषाधिकारी
आगरा

4

जो कि एक किता आराजी वाकै मौजा लकावली तहसील व जिला आगरा खाता संख्या 132 खसरा संख्या 721 मे से विक्रय की जा रही है रकबा 0.3775 हेक्टेयर मे से 0.1887 हेक्टेयर आराजी का विक्रय किया जा रहा है। लगानी 20 रुपये 40 पैसे सालाना फसली सन 1415 – 1420 मुताबिक खतौनी के अनुसार उपरोक्त कुल आराजी को यानि 0.3775 हेक्टेयर आराजी भूमि को एक किता पंजीकृत बैनामे द्वारा [illegible] – नि० ग्राम लकावली से प्रथम पक्ष ने क्रय कर नियमानुसार राजस्व अभिलेखों मे अपने नाम का दाखिल खारिज कराया और प्रथमपक्ष 0.3775 हेक्टेयर कृषि भूमि

Executor

विक्रेता

Registration No. [illegible] Year 2009 [illegible] 1

0101 सुरेश [illegible] लाल गहे0 मुख्तार

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

15000 रु. — पन्द्रह हजार रुपये — RUPEES FIFTEEN THOUSAND — Rs. 15000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   J 01041

अनुज्ञप्त प्राप्त
01 AUG 2008
कोषाधिकारी
शाखा

5

को संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे उक्त कम्पनी मालिक हुयी और क्रय की गयी भूमि मे से प्रथम पक्ष केवल 0. 1887 हैक्टेयर भूमि क्रेता द्वितीयपक्ष को विक्रय करती है इस प्रकारउक्त जमीन की विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी एकमात्र मालिक व स्वामी चली आ रही है जिस पर विक्रेता प्रथमपक्ष कम्पनी का ही कब्जा व दखल चला आता है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष कम्पनी के दीगर कोई हकदार

For Nand E[illegible] Ltd.

(signature)

Director

Tel... (signature)

क्रेता

Registration No. : [illegible]   Year : 2009   Book No. : 1

0201 [illegible] आई मीडिया प्रा लि द्वारा [illegible] किशोर बिज

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. | Rs 10000

10000 रु. | Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 — दस हज़ार रुपये | 10000 रु. Rs.10000 — RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. | Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

00AA 129138

आस्थानक खां
08 AUG 2008
कोषाधिकारी
आगरा

6

व हिस्सेदार वगैरा नहीं है जो आज तक विक्रेता प्रथमपक्ष की ओर से हर प्रकार से कर्ज व करार व भार व बंधक व ऋण व दान व जमानत व नालिश व नीलाम व हर प्रकार की समस्त देनदारी व जिम्मेदारी वगैरा से कतई तौर पर पाक व साफ है प्रथमपक्ष ने विक्रीत जमीन की बाबत किसी अन्य व्यक्ति से

For Nand Estate Developers (P) Ltd.

Director

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

कोई इकरारनामा आदि नही किया है नाही किसी बैंक या संस्था मे बंधक रखा है चूंकि इस समय प्रथमपक्ष को रुपयो की जरूरत है और जरूरत पूर्ति करने के लिये उक्त कुल आराजी मे से केवल 0.1887 हेक्टेयर आराजी का

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 576561

8

विक्रय करना मंजूर है ।

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाव किसी नाजायज के मय समस्त अधिकार व आधिपत्य व स्वामित्व सहित व बिना छोडे किसी हक

Director

Ltd.

Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

९

व अधिकार के सब दाखिले व खारिजे के आराजी खाता नंबर 721 रकबा 0.3775 हेक्टेयर मे से 0.1887 हेक्टेयर आराजी कुल को बिना रकम मुबलिग 21,50,000/- इक्कीस लाख पचास हजार रुपये में आधे जिसके मुबलिग 10,75,000/- दस लाख पिचहत्तर हजार रुपये होते है में बदस्त -

For Nand ...

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 2008

[illegible] कोषाधिकारी

10

थ्री ओशिया प्रा. लि. द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमल किशोर सिंह पुत्र श्री भगवान दास सिंह निवासी एफ 885 कमला नगर शाहर आगरा उपरोक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के पक्ष कर्ता की और बेच दी तथा कीमत का

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11

कुल रुपया विक्रेता/प्रथमपक्ष ने खरीदार द्वितीय पक्ष से मु0 21,50,000/- रुपया बैंक चेको के द्वारा समायोजित कर प्राप्त कर लिया है जिसका प्रथम पक्ष पाना स्वीकार करते है अब कुछ पाना पालेना बाकी नहीं रहा है और नाही आयंदा होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 576458

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत भूमि के वाकई हालो पर प्रथम पक्ष ने खरीदार द्वितीयपक्ष का करा दिया और खरीदार को उक्त जमीन कारकमात्र तन्हा मालिक व स्वामी बना दिया है आज के बाद खरीदार को हक व अधिकार है कि वह उक्त जमीन/ भूमि मे हस्व मर्जी

Naved (o)....

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 576781

15

अपने चाहे जैसी काश्त [illegible] करे [illegible] लगान अदा करे जरिये बैनामा हाजा के अपने नाम का दाखिल खारिज कराये वक्त जरूरत चाहे जिस व्यक्ति को चाहे जिस कीमत मे एक भाग मे या अनेक भाग मे रहन व बै

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14

हिबे विक्रय आदि जो चाहे तो करे अब कोई हक व हिस्सा व कब्जा व दखल वाको प्रथम पक्ष का नही रहा है ना ही आयंदा होगा उक्त जमीन नजूल या राजकीय अस्थान की नही है जिसको राज्य सरकार

For N...

Director

Third

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया है नाही कोई मुआवजा लिया गया है नाही किसी वाद मे अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित की गयी है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 574914

16

अगर भविष्य मे ब वजह दावेदारी किसी हकदार व हिस्सेदार की से या नुक्स टाईटिल विक्रेता प्रथमपक्ष की से आराजी मुबेया मजकूर का कोई जुज या कुल कब्जा व दखल खरीदार से निकल जावे या किसी को

For Nand [illegible] Ltd.

Nand (G) [illegible]

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

566011

31 JUL 2008

17

कोई रकम अदा करनी पड़े या बैनामा लागत से किसी प्रकार की कोई कानूनी कमी पायी जावे तो उसके कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी विक्रेता प्रथमपक्ष की होगी खरीदार जिस प्रकार चाहे मय सूद के वसूल कर ले उज्र व एतराज न होगा ।

विक्रीत आराजी मे तथा उसके आस पास 200 मीटर की परिधि मे कृषि हो रही है और कृषि भूमि मे कुआं बोरिंग पेड़ पौधे व आबादी व निर्माण आदि नही है विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नही है।

Director

Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रीत आराजी की सरकारी मालियती 8,64,000/- रुपये थी लेकिन खरीद कीमत 21,50,000/- रुपये पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से मु0 1,51,000/- रुपये का स्टाम्प अदा किया गया है जिसमे सरासर राजस्व सरकार का फायदा है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

जयप्रकाश खाँ
26 JUL 2008
कोषाधिकारी
आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15

नोट :-

विक्रेता प्रथमपक्ष नन्द किशोर मर्केन्टाइल्स ने सुरेश कमल कुमार पी.एन. अग्रवाल निवासी 26 गांधी नगर आगरा को यह दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये मुख्तारनामा आदीसमुदा नियुक्त किया है जिसको रजिस्टरी श्रीमान सब रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम आगरा मे विधिवत दर्ज है जिसके द्वारा प्रथम पक्ष ने अपने द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया है। जो आज तक प्रभावी है कैन्सिल नही हुआ है जिससे दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधिकारो मे आज तक कोई कमी नही आयी है।

For Nand Estate Pvt. Ltd.

Director

Third Eye Merk Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

कार्यालय उपनिबन्धक, आगरा

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन में
विक्रेता/क्रेता के फिंगर प्रिन्ट्स

1. विक्रेता का नाम व पता [illegible] (पार्टनर) [illegible]
[illegible]
[illegible] आगरा

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बांये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

2. क्रेता का नाम व पता [illegible] द्वारा [illegible]
[illegible] श्री दामोदर [illegible]
[illegible] आगरा

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बांये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36439

20

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और वक्तपर काम आवे तहरीर तारीख 1-5-2009ई0 व मसौदा सुरेश कुमार एडवोकेट (प्रधानजी) सदर तहसील आगरा दस्तावेज हाजा पक्षकारान के कहे अनुसार तहरीर व टाईप किया गया है दस्तावेज हाजा पर पक्षकारान फोटो व हस्ताक्षरों की शिनाख्त गवाहों ने की है।

गवाह :-

नरेश चन्द पुत्र श्री सुरेश चन्द

निवासी खन्दारी आगरा।

गवाह :-

अनुराग कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द

निवासी राजा मण्डी आगरा।

Suresh K. Agrawal
Advocate
Sadar Tahsil, AGRA

आज दिनांक **22/05/2009** को

बही सं **1** जिल्द सं **2535**

पृष्ठ सं. **173** से **216** पर कमांक **3124**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ0पी0 कठेरिया

उपनिबन्धक (तृतीय)

आगरा सदर

22/5/2009

एक किता आराजी खाता सं. 182 खसरा सं. 721 में से 1/2 भागकाके व मौजा लकावली तह० व जिला - आगरा

रकबा :- 0.5770 है० में से 0.1887 है०

विक्रेता :- नन्द डवलपर्स (प्रा०) लि० द्वारा डायरेक्टर श्री नन्द किशोर मंघरानी

क्रेता :- थर्ड आई मीडिया (प्रा०) लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमल किशोर बिजा

लाल रंग में दर्शायी है

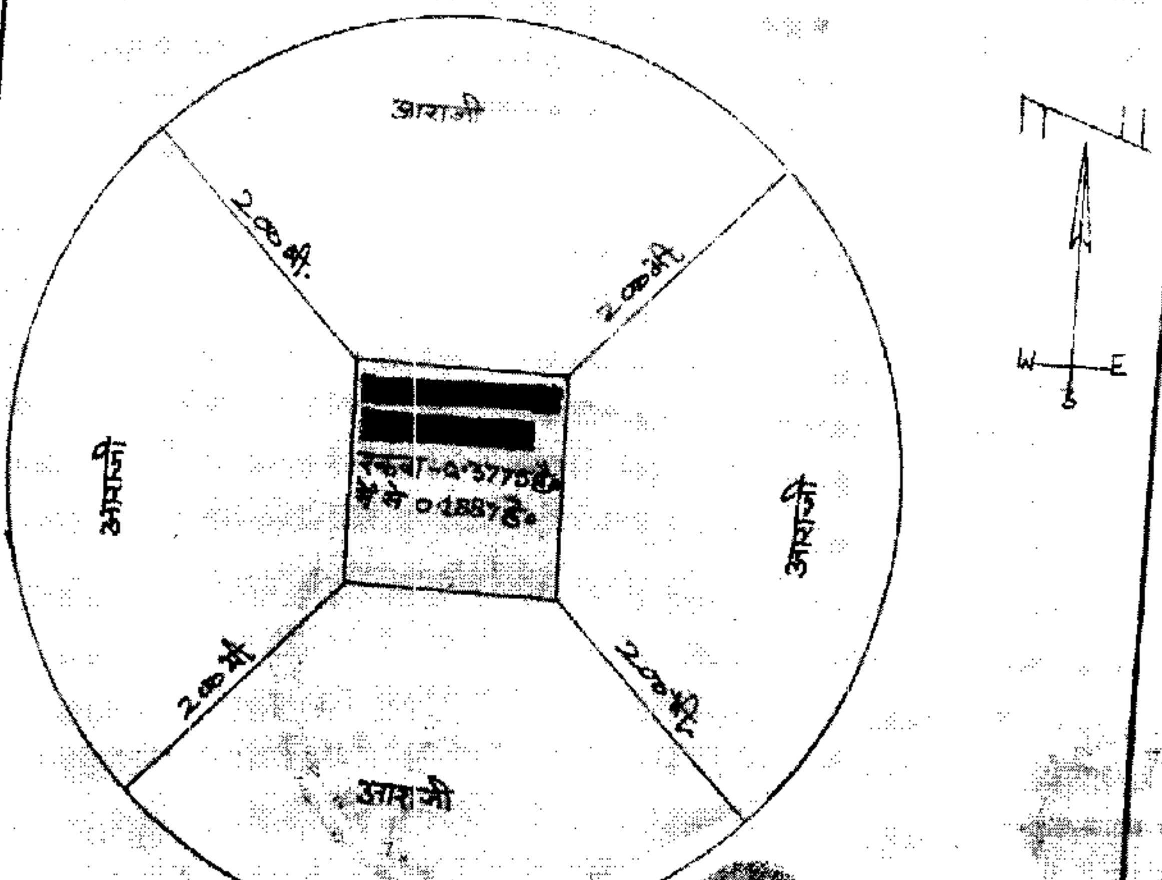

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Director

Third Eye Media Pvt. Ltd.

Signatory

यह नक्शा निबन्धन सं० 3125/
के साथ संलग्न है।

उप निबन्धक-
आगरा

[redacted]